न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 362/2025(GCMS : 2025/491)

ए यू स्माल फाईनेंस बैंक लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय 19–ए धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर **शाखा कार्यालय** नियर गौड़ हॉस्पीटल, मीणा चौक, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी हस्ताक्षरकर्त्ता प्रकाश चन्द, पोर्टफोलियो कलेक्शन मैनेजर

बनाम

1. **राजवीर सिंह** पुत्र सुभाष चन्देर **निवासी** 1 बीएनडब्ल्यू, हाकमाबाद, सादुलशहर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान –335062
2. **सुभाष चन्देर** पुत्र सलवीर राम **निवासी** वार्ड नं. 09, वीपीओ हाकमाबाद, गंगानगर हनुमान मंदिर के पास, 1 बीएनडब्ल्यू, हाकमाबाद, सादुलशहर राजस्थान –**335062 हाल निवासी** ग्राम पंचायत पट्टा संख्या 48, पुस्तक संख्या 188, ग्राम पंचायत हाकमाबाद, गंगानगर सादुलशहर जिला गंगानगर राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.01.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण राजवीर सिंह एवं सुभाष चन्द्र को ऋण सुविधा के रूप में 2.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 29.02.2020 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 13.05.2025 को 1,72,147/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी सुभाष चन्द्र द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत पट्टा संख्या 48, पुस्तक संख्या 188, ग्राम पंचायत हाकमाबाद, गंगानगर सादुलशहर जिला गंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया [illegible] कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण राजवीर सिं[illegible] सुभाष चन्द्र** को ऋण सुविधा के रूप में 2.00/ [illegible] रूपये (अक्षर रूपये दो लाख मात्र) **की स्वीकृति दिनांक 29.02.2020 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुभाष चन्द्र ने अपनी अचल **सम्पत्ति ग्राम पंचायत पट्टा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:28:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

संख्या 48, पुस्तक संख्या 188, ग्राम पंचायत हाकमाबाद, गंगानगर सादुलशहर जिला गंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 11.05.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए **विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सुभाष चन्द्र की अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत पट्टा संख्या 48, पुस्तक संख्या 188, ग्राम पंचायत हाकमाबाद, गंगानगर सादुलशहर जिला गंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस **17.05.2025** की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक **17.05.2025** को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.05.2025 को भिजवाये गये, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है** और अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:28:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

	माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **सुभाष चन्द्र** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा। **अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी सुभाष चन्द्र द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत पट्टा संख्या 48, पुस्तक संख्या 188, ग्राम पंचायत हाकमाबाद, गंगानगर सादुलशहर जिला गंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। **यह आदेश आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:28:56 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर